भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 3153

दिनांक 13 दिसंबर, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

सिकल सेल एनीमिया का उपचार

3153. श्री संजय उत्तमराव देशमुख:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महाराष्ट्र विशेष रूप से यवतमाल-वाशिम संसदीय क्षेत्र में सिकल सेल एनीमिया के पंजीकृत रोगियों की कुल संख्या कितनी है तथा उनकी स्थिति का आकलन करने के लिए आज की तिथि तक क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या यवतमाल-वाशिम के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में सिकल सेल रोग के उपचार के लिए दवाएं और सुविधाएं अपर्याप्त हैं तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इन्हें तत्काल उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में सिकल सेल रोग के उपचार के लिए निःशुल्क शिविर आयोजित करने की कोई योजना है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा इनके कब तक आयोजित किए जाने की संभावना है;

(च) प्रभावित रोगियों के लिए जिला और तहसील अस्पतालों में कब तक विशेष वार्ड और विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति किए जाने की संभावना है; और

(छ) क्या सरकार महंगे उपचार को ध्यान में रखते हुए गरीब और जरूरतमंद रोगियों की राहत के लिए ऐसी कोई वित्तीय सहायता योजना शुरू करने पर विचार कर रही है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (छ): माननीय प्रधानमंत्री द्वारा सिकल सेल रोग (एससीडी) के उन्मूलन हेतु दिनांक 1 जुलाई, 2023 को मध्य प्रदेश से राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन (एनएससीएईएम) की शुरुआत की गई है। इस मिशन का उद्देश्य सभी सिकल सेल रोगग्रस्त रोगियों को किफ़ायती सुलभ और गुणवत्तापरक परिचर्या प्रदान करना, जागरूकता को बढ़ावा देकर एससीडी की व्याप्तता को कम करना, जनजातीय क्षेत्रों के प्रभावित जिलों में वर्ष 2025-26 तक 0-40 वर्ष की आयु के 7 करोड़ लोगों की लक्षित जांच करना और केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों के सहयोगात्मक प्रयासों के द्वारा परामर्श देना है। महाराष्ट्र राज्य और

यवतमाल-वाशिम संसदीय क्षेत्र के जिलों में जांचे गए, वाहक के रूप में पुष्टि किए गए, रोगग्रस्त और उपचाराधीन रोगियों का विवरण (10.12.2024 तक) इस प्रकार है:

क्र. सं	राज्य/जिला	जांच किए गए व्यक्तियों की कुल संख्या	सिकल सेल वाहकों की कुल संख्या	सिकल सेल रोग से ग्रस्त हुए लोगों की कुल संख्या	उपचाराधीन सिकल सेल रोग से ग्रस्त हुए रोगियों की कुल संख्या
1	महाराष्ट्र	50,81,086	1,46,335	18,893	3,887
2	वाशिम	1,98,925	142	13	1
3	यवतमाल	2,82,531	9,481	1,486	628

अनिवार्य औषधियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने और सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों में उपचार हेतु आने वाले सिकल सेल रोग से पीड़ित रोगियों सहित सभी रोगियों की जेब से होने वाले खर्च को कम करने के लिए, सरकार ने एनएचएम के तहत निःशुल्क औषध सेवा पहल शुरू की है। इसमें एसएचसी स्तर पर 106 औषधियों, पीएचसी स्तर पर 172, सीएचसी स्तर पर 300, एसडीएच स्तर पर 318 और जिला अस्पतालों में 381 औषधियों के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रदत्त वित्तीय सहायता शामिल है। एससीडी रोगियों के लिए हाइड्रोक्सीयूरिया नामक औषधि को एसएचसी, पीएचसी/शहरी पीएचसी, सीएचसी और जिला अस्पतालों में एनएचएम अनिवार्य औषधियों की सूची में शामिल किया गया है ताकि औषधि की सुलभता की समस्या को हल किया जा सके।

यह मंत्रालय राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत 'निःशुल्क निदान सेवा पहल' कार्यक्रम को भी सहायता देता है, जिसका उद्देश्य समुदाय के नज़दीक सुगम्य और किफ़ायती पैथोलॉजिकल और रेडियोलॉजिकल निदान सेवाएँ प्रदान करना है, जिससे जेब से होने वाले खर्च (ओओपीई) में कमी आती है। सिकल सेल एनीमिया रोगियों सहित सभी के लिए निदान सेवाएँ सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों [एसएचसी में 14 परीक्षण, पीएचसी में 63, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) में 97, उप जिला अस्पतालों में 111 परीक्षण और जिला अस्पतालों में 134 परीक्षण] के सभी स्तरों पर निःशुल्क प्रदान की जाती हैं।

जनजातीय कार्य मंत्रालय के माध्यम से जागरूकता और परामर्श सामग्री विकसित की गई है। रोग, जांच और प्रबंधन के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए आईईसी और मीडिया कार्यकलापों को अपनाया जाता है। प्रत्येक सिकल सेल जांच शिविर में जागरूकता भी प्रदान की जाती हैं। जागरूकता अभियान सहित मिशन कार्यकलापों के कार्यान्वयन में राज्य सरकारें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

इस मंत्रालय ने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को हर महीने एक निश्चित दिन की आउटरीच सेवा, जिसका नाम आयुष्मान आरोग्य शिविर है, आयोजित करने का निर्देश दिया है, ताकि समुदाय के करीब स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाई जा सकें और जेब से होने वाले खर्च को कम किया जा सके। इस पहल में एएएम (एसएचसी और पीएचसी) में स्वास्थ्य शिविर आयोजित करने की परिकल्पना की गई है, जिसमें एसएचसी में चिकित्सा

अधिकारी मौजूद होंगे और पीएचसी और सीएचसी में हर महीने एक बार विशेषज्ञ चिकित्सा शिविर आयोजित किए जाएंगे।

यह मंत्रालय एनएचएम के तहत कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) के रूप में प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को मजबूत करने के लिए राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को स्वास्थ्य मानव संसाधन (विशेषज्ञ डॉक्टर और अन्य स्वास्थ्य कार्यकर्ता) की भर्ती के लिए तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। भारत सरकार मानदंडों और उपलब्ध संसाधनों के अनुसार कार्यवाही के रिकॉर्ड (आरओपी) के रूप में प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान करती है।

एनएससीएईएम के तहत जिला अस्पतालों से लेकर आयुष्मान आरोग्य मंदिर (एएएम) स्तर तक सभी स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों के स्तरों पर जांच की जाती है। एससीडी से पीड़ित मरीजों को एएएम- उप स्वास्थ्य केंद्र (एसएचसी) और एएएम- प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) के माध्यम से उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए निम्नलिखित सेवाएं/सुविधाएं प्रदान की जाती हैं:

- रोगग्रस्त व्यक्तियों का नियमित अंतराल पर अनुवर्ती परीक्षण।
- जीवनशैली प्रबंधन, विवाह-पूर्व और प्रसव-पूर्व निर्णयों के बारे में परामर्श।
- फोलिक एसिड की गोलियों के वितरण के माध्यम से पोषण संबंधी पूरक सहायता।
- योग और स्वास्थ्य सत्र आयोजित करना।
- संकट के लक्षणों का प्रबंधन और उच्च सुविधा केंद्रों के लिए रेफरल।

*****